न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2020-00126RAAJodhpur2020-66RTA225 Smt. Shusila ors Vs Ramdin etc

01. श्रीमती सुशीला कुमारी पत्नी श्री दिग्विजयसिंह
02. तरीनी भाटी पुत्री श्री दिग्विजयसिंह
जातियान् राजपूत, निवासीगण- भंवरिया हाउस,
रेजिडेन्सी रोड़, जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

रामदीन पुत्र श्री जोगारामजी, जाति जाट, निवासी- पाबुपुरा
सिविल एयरपोर्ट रोड़, जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 17 जून 2020 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 17/2020 रामदीन बनाम जोरसिंह इत्यादि

उपस्थित-
श्री सज्जनसिंह, ,अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री अशोक चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

नि र्ण य

दिनांक : 11 दिसंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 17/2020 अनवान रामदीन बनाम जोरसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 17 जून 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 29 जून 2020 को प्रस्तुत की है।

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 638 रकबा 06.19 बीघा, खसरा नं. 639 रकबा 07.19 बीघा व खसरा नं. 640 रकबा 02.08 बीघा ग्राम जोधपुर के संबंध में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सपठित धारा 128, 11 भू- राजस्व अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दावे के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हस्तगत मामले में रेस्पोडेंट ने मृत व्यक्ति के विरुद्ध वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रतिवादी संख्या एक जोरसिंह का देहांत सन् 2013 मे हो चुका है। रेस्पोडेंट ने झूठे एवं मनगढंत कथनों के वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट्स को सुने बिना उनके विरुद्ध एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। रेस्पोडेंट अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 34 में दखलंदाजी पैदा कर रहा है। धारा 188(2) में यह अभिकथित किया गया है कि ''न्यायालय आवश्यक जांच करने के पश्चात ही शाश्वत आदेश दे सकेगा।'' विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर विचार किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 जून 2020 को निरस्त किया जावे एवं विचारण न्यायालय को आदेशित किया जावे कि वह उभय पक्ष को सुनने के पश्चात प्रार्थना पत्र पर पुनः आदेश पारित करे।

जवाब में रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट के कब्जे काश्त में दखल किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के लिए अपीलांट के जवाब प्रस्तुति तक अस्थाई निषेधाज्ञा का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किये बिना सीधे ही अपील प्रस्तुत की है जो कानूनन पोषणीय नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक रेस्पोडेंट रामदीन वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 640 का राजस्व रेकर्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अप्रार्थीगण को उनके द्वारा जवाब पेश करने तक खसरा नं. 640 की पश्चिमी सीमा पर निर्माण इत्यादि नहीं किये जाने हेतु पाबंद किया है। अप्रार्थीगण/अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखे बिना सीधे ही हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ओमप्रकाश विश्नोई}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर